पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 4 (1) (ख) के उप-खंड (xv) के तहत प्रकाशित सूचना।

जनता के उपयोग के लिए यदि किसी पुस्तकालय या वाचनालय की व्यवस्था की गई, तो उसके कार्य के समय सहित नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा।

सूचना का अधिकार

इस विभाग का सतर्कता अनुभाग लोगो द्वारा व्यक्तिगत रूप से, आनलाइन https://rtionline.gov.in) और डाक के माध्यम से डीडीडब्ल्यूएस को प्रस्तुत किए गए आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त करने, विभाग में संबंधित सीपीआईओ/एफएए को और मांगी गई सूचना से जुड़े अन्य सरकारी प्राधिकारियों को भी इन आवेदनों का संवितरण करने के लिए नोडल अनुभाग है। नोडल अनुभाग द्वारा अधिनियम में विहित किए गए विभिन्न शुल्कों को उचित पावती के प्रति नकद और लेखा अधिकारी, डीडीडब्ल्यूएस के नाम से जारी किए गए आईपीओ/डीडी/बैंकर्स चैक के जरिए स्वीकार किया जाता है।

2. विभाग में आरटीआई के लिए नोडल अनुभाग अर्थात् सतर्कता अनुभाग आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति के संबंध में भी सूचना प्रदान करने तथा विभाग में आरटीआई आवेदनों के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई कोई अन्य सूचना भी प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

लोक शिकायतें

आवेदक अपनी शिकायत दिये गए पोर्टल https://pgportal.gov.in/- पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आवेदक अपने ऑनलाइन शिकायत पत्र को ट्रैक कर उसकी स्थिति/उत्तर को भी CPGRAMS वेबसाइट पर देख सकते हैं। लोक शिकायत संबंधी नोडल अनुभाग अर्थात् सतर्कता अनुभाग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में प्राप्त पत्र को विषय से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी/प्राधिकार को अग्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है, जो आगे समुचित निवारण कार्रवाई करेंगे और आवेदकों को सीधे सूचित करेंगे ।

नोडल अधिकारीगण/अपीलीय प्राधिकारी

	नोडल अधिकारी	अपीलीय प्राधिकार
CPGRAMS	श्री अनंजय कुमार तिवारी, उप सचिव,	डॉ कमला कांता नाथ उप महानिदेशक

	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	(सांख्यिकी) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
	ई-मेल: ananjay.tiwari@gov.in टेलीफोन नं. 24368772	ई-मेल: Kamalakanta.nath@gov.in टेलीफोन नं.24369832
आरटीआई	श्री ओम प्रकाश, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ई-मेल: om.prakash38@nic.in टेलीफोन नं. 24361062	श्री शंभु कुमार सिंह, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ई-मेल: sksingh.43@gov.in टेलीफोन नं. 24364515

प्रभार	
CPGRAMS	आरटीआई
लोगों की शिकायतें स्वीकार की जाती हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। यह प्रक्रिया निशुल्क है।	आवेदन शुल्क - 10 रूपये अतिरिक्त शुल्क - क) प्रत्येक ए4/ए-3 या इससे छोटे आकार के कागज़ के लिए 2 रूपये; ख) बडे आकार के कागज़ के फोटोकॉपी का वास्तविक लागत या मूल्य; ग) नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; घ) प्रति डिस्क या फ्लोपी 50 रूपये; ङ) किसी प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ दो रुपये च) निरीक्षण के पहले घंटे के लिए रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं और अगले प्रत्येक घंटे या उससे कम अवधि के लिए 5 रुपये का शुल्क; और छ) सूचना के प्रेषण में 50 रुपये के अलावा खर्च की गई राशि **शुल्क के भुगतान से छूट -** गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा बशर्ते आवेदन के साथ इस बाबत समुचित सरकारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई हो।